प्रेषक,

अजय कुमार शुक्ला,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

निर्वाचन अनुभाग, लखनऊः दिनांक 03 नवम्बर, 2022

विषयः वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-41 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2015-निर्वाचन के विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1147/सी०ई०ओ०-3-42/3-2022, दिनांक-12 अक्टूबर, 2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-41 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2015-निर्वाचन के विभिन्न मानक मदों के लिए कुल रू० 4,98,21,000/- (रूपये चार करोड़ अट्ठानबे लाख इक्कीस हजार) मात्र की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संलग्न प्रपत्र बी0एम0—9 (भाग—1) के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदया सहर्ष प्रदान करती हैं:-

(1) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उस मद में पुन: अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जाएगी।

(2) पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग उसी वित्तीय वर्ष में एवं उसी कार्य के लिये किया जायेगा।

(3) पुनर्विनियोग मात्र बजट की उपलब्धता हेतु सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के विषय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए औचित्य का परीक्षण कर लेंगे।

(4) पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग वित्तीय वर्ष में न करने और उसके फलस्वरूप होने वाले आडिट आपत्ति हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय उत्तरदायी होगा।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट :shasanadesh.up.gov.in... से सत्यापित की जा सकती है

(5) मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पुनर्विनियोग से उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.3.2023 तक कर लिया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू० 4,98,21,000/- (रूपये चार करोड़ अट्ठानबे लाख इक्कीस हजार) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-41 के लेखाशीर्षक-2015001050400-उप निर्वाचन-08-कार्यालय व्यय लेखाशीर्षक-2015001030500-निर्वाचन अधिष्ठान व्यय- 08-कार्यालय व्यय एवं लेखाशीर्षक-2015001060300-सामान्य निर्वाचन-राज्य विधान सभा-42 अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त(बी0एम0—9 (भाग—1)

भवदीय,

(अजय कुमार शुक्ला)
सचिव।

संख्याः-08/2022/720(1)/61-2022-03-Reappropriation-2022-23, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) वित्त नियंत्रक, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
(4) सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा निर्वाचन अनुभाग—3 कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी,उ0प्र0, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह०/-
(अच्युतानन्द)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट :shasanadesh.up.gov.in... से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A061-20222023-03-Reappropriation-2022

विषय:- अनुदान संख्या-41 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2015-निर्वाचन के अन्तर्गत मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
041	2015001060300 (सामान्य निर्वाचन-राज्य विधान सभा)	04 (यात्रा व्यय)	22,16,01,000 रुपये बाईस करोड़ सोलह लाख एक हजार मात्र	4,98,20,000 रुपये चार करोड़ अट्ठानबे लाख बीस हजार मात्र	4,98,21,000 रुपये चार करोड़ अट्ठानबे लाख इक्कीस हजार मात्र	**49821000**	**171780000**	2022-2023
कुल					₹ 4,98,21,000	₹ **49821000**	₹ **171780000**	

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
041	2015001050400 (उप निर्वाचन)	08 (कार्यालय व्यय)	5,00,00,000 रुपये पांच करोड़ मात्र	2,61,71,000 रुपये दो करोड़ इकसठ लाख इकहत्तर हजार मात्र	**26171000**	76171000	2022-2023
041	2015001030500 (निर्वाचन अधिष्ठान व्यय)	08 (कार्यालय व्यय)	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	1,89,00,000 रुपये एक करोड़ नवासी लाख मात्र	**18900000**	23900000	2022-2023
041	2015001060300 (सामान्य निर्वाचन-राज्य विधान सभा)	42 (अन्य व्यय)	5,00,00,000 रुपये पांच करोड़ मात्र	47,50,000 रुपये सैंतालीस लाख पचास हजार मात्र	**4750000**	**54750000**	2022-2023

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट :shasanadesh.up.gov.in... से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
कुल				₹ 4,98,21,000	₹ 49821000	154821000	

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :- उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार हैं:-

(1) चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 में जनपदों से कम मांग प्राप्त होने की सम्भावना के कारण बचत सम्भावित है।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से हैः- टी-1 से टी-4 वी0वी0पैट को सुधार हेतु एवं एम-1 मॉडल ई0वी0एम0 नष्टीकरण हेतु निर्माता फर्मो को विभिन्न जनपदों से भेजे जाने पर होने वाले व्यय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय तथा जनपदों के विविध व्ययों जैसे डाक टिकट, आयकर रिटर्न भरवाने पर होने वाले व्यय एवं बैठकों पर होने वाले व्यय आदि के भुगतान हेतु उक्त धनराशि की आवश्यकता है।

(3) लोक सभा उप निर्वाचन-2022 के प्रयोगार्थ ई0वी0एम0 एवं वी0वी0पैट की एफ0एल0सी0, मतदान हेतु ई0वी0एम0 की तैयारी, कन्डीडेट सेटिंग, सीलिंग एवं तकनीकी सेवाओं आदि पर हुए व्यय, राजकीय प्रेसों एवं जनपदों से प्राप्त होने वाले विभिन्न देयकों आदि के भुगतान हेतु उक्त धनराशि की आवश्यकता है।

(4) विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 में निर्वाचन ड्यूटी के दौरान मृत हुए कार्मिकों के आश्रित परिवारों को अनुग्रह राशि दिये जाने हेतु धनराशि की आवश्यकता है।

(5) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 150, 151 व 154 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों /परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या:आर०ई०संख्या-बजट-1-109, दिनांक-02.11.2022

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(अच्युतानन्द)
अनु सचिव।

(मदन मोहन त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्या : A061-20222023-03-Reappropriation-2022, दिनांक- 02.11.2022,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2- सम्बंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट :shasanadesh.up.gov.in... से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

4- वित्त नियन्त्रक/वित्तीय सलाहकार, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(अच्युतानन्द)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट :shasanadesh.up.gov.in... से सत्यापित की जा सकती है